

अनुपस्थिति। अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जो इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिल लौटा है कि "काफी तलाश किया गया, परंतु दिये गये पते पर ताला लगा हुआ है, आसपास के लोगों से मालुमात किया गया, परंतु कोई पता नहीं चला। काफी समय से दिये गये पते से अभियुक्त गायब है।" अभियुक्त के गिरफ्तारी वारंट पर आयी रिपोर्ट से न्यायालय संतुष्ट है कि अभियुक्त अपनी सकूनत से गिरफ्तारी से बचने के लिए रूहपोश हो गया है तथा उसके निकट भविष्य में गिरफ्तार होने की कोई संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त आकाश कुमार पुत्र रामस्वरूप, निवासी- मीणा कॉलोनी, पुलिस थाना चेचट, जिला कोटा, राजस्थान को मफरूर घोषित किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी हो तथा धारा 82, 83 दं०प्र०सं० की कार्यवाही पृथक से खोली जावे। पत्रावली वास्ते बयान मुख्तियार हेतु दिनांक 04.06.2026 को पेश हो।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रामगंजमण्डी जिला कोटा राज०

04.06.2026

अभियोजन अधिकारी उपस्थित/
अभियुक्त आकाश कुमार मफरूर है।
~~सुरेश सिंह~~ अनुपस्थित, बजिरी माली कार्यवा
पत्र जारी अभिवक्ता पत्रा उक्ता जो आज

કે સિર તરીકે જિલ્લા ખાતા ની
આગામી પેશી પર અધિકૃત સુરેન્દ્ર ની
અલાભન ઉપસ્થિત રહ્યા જાશે.
પત્રાવલી વાસ્તે વચન મુલ્કિમ રિનાંગ
૦૮.૦૬.૨૦૨૦ ની પેશ હો

મોલચંદ

વરિષ્ઠ સિવિલ ન્યાયાધીશ
અસિસ્ટન્ટ મુલ્કિમ કોર્ટ
રામગંગાપુરી જિલ્લા કોર્ટ

કુનરચ:

મુ. ના.

ઇતના લિખે ખાતે પર અધિકૃત વાલ્ચંડ
વ મુલ્કિમ ઉપસ્થિત આશે. બિનકે હસ્તાક્ષર કરવાશે
ગયો

પત્રાવલી રિનાંગ ૦૮.૦૬.૨૦૨૦ ની વાસ્તે
વચન મુલ્કિમ પેશ હો

વરિષ્ઠ સિવિલ ન્યાયાધીશ
અસિસ્ટન્ટ મુલ્કિમ કોર્ટ
રામગંગાપુરી જિલ્લા કોર્ટ